

Act No. 51 of 2013.

2013 का विधेयक संख्यांक 31

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन)  
विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन)  
विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 9 का संशोधन ।

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का  
(संशोधन) विधेयक, 2013

(विधानसभा द्वारा यथापारित )

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2013 है ।
2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 9 की उपधारा (1) में, "एक सौ रूपए की फीस के संदाय पर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 9 का  
संशोधन ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

शिमला-171004.


दिनांक : 17-7-2013

शिमला-171002.

दिनांक 20-7-2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देती हूँ

अध्यक्ष  
अध्यक्ष  
हिमाचल प्रदेश  
विधान सभा, शिमला

  
राज्यपाल ।  
राज्यपाल  
हिमाचल प्रदेश

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**BILL NO. 31 OF 2013**

**THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS  
TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2013**

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

# **THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2013**

## **ARRANGEMENT OF CLAUSES**

### **Clauses :**

1. Short title.
2. Amendment of section 9.

**THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND  
GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2013**

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods  
Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in  
the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Act, 2013. Short title.

2. In section 9 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, in sub-section (1), the words “on payment of a fee of one hundred rupees” shall be omitted. Amendment of section 9.

मैं, "हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 31)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं ।




राज्यपाल,

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 31)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।



सचिव (विधि),

हिमाचल प्रदेश सरकार ।